अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०–निग/सारा–4 (पथ)–आरोप–22/2018 पटना, दिनांक :– 28/2/19

कार्यालय आदेश – 60

श्री रामबिलास दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, खगडिया सम्प्रतिः निलंबित, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथ प्रमंडल खगडिया के पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, खगडिया अन्तर्गत संधारित पथों (CMBD अथवा SBD) में Special Inspection Drive के तहत दिनांक–17.05.2018 को निरीक्षण दल के किये जाने वाले निरीक्षण के क्रम में सुसंगत दस्तावेजो के साथ कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने संबंधी आरोपो के लिए विभागीय पत्रांक–5965(E)We दिनांक–23.08.2018 द्वारा आरोप–पत्र गठित करते हुए पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री दास द्वारा दिनांक–04.09.2018 को स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

2. प्रश्नगत मामले में विभागीय पत्रांक–5965(E)We दिनांक–23.08.2018 एवं श्री दास द्वारा दिनांक–04.09.2018 को समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–8516(S)We दिनांक–08.11.2018 द्वारा अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अचंल सहरसा से सुस्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अचंल सहरसा के पत्रांक–43 अनु० दिनांक–09.01.2019 द्वारा समर्पित मंतव्य, की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोंपरांत पाया गया कि श्री दास के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा मूल रूप से लगाये गये अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप सीधे तौर पर प्रमाणित नहीं होता हैं, क्योंकि श्री दास के द्वारा e- छुट्टी APPS के माध्यम से ही सही, किन्तु समर्पित आवेदन को कार्यपालक अभियंता के द्वारा स्वीकृत किया गया है, एसी स्थिति में श्री दास को बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता है।

4. परन्तु आलोच्य मामले में श्री दास के अवकाश अभ्यावेदन में एकरूपता नहीं पाये जाने, उचित माध्यम से अवकाश आवेदन समर्पित नहीं किये जाने, आवेदन के साथ चिकित्सीय पुर्जा संलग्न नहीं होने एवं महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख को कार्यालय में न रखकर अपने साथ रखे जाने आदि के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों अर्थात सरकारी कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किये जाने की पुष्टि प्रतीत होती है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा के क्रम में श्री दास के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपो की जाँच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने एवं प्रमाणित आरोपो की प्रकृति वृहद दंड के योग्य नहीं होने की स्थिति में श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित न कर मात्र उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा के आधार पर उनके परिलक्षित हो रहे कार्यालय दायित्व को दृष्टि पथ में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के उप नियम–v के तहत निम्न शास्ति (लघु) अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है:–

(i) श्री दास को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापन हेतु मुख्यालय में योगदान समर्पित करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) प्रश्नगत मामले में गठित आरोप अंशतः प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में श्री दास के विरुद्ध "चेतावनी" की शास्ति (जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्रपुस्त में की जायेगी) का दंड अधिरोपित किया जाता है।

(iii) श्री दास के निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नही होगा, परन्तु उक्त निलंबन अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में परिगणित किया जा सकेगा–के रूप में निलंबन अवधि को विनियमित किया जाता है।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–
पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, खगड़िया /उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राभबिलास दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रतिः निलंबित, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1742(E)
पटना, दिनांक :–28/2/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

28/2/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

28/02/19

295